(12)

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

1. अपील संख्याः 236/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00071

नाबालिग यश पुत्र आशाराम जाति चुघ अरोड़ा जरिये कुदरती वली वाद मित्र बुआ रामी देवी पत्नी लक्ष्मीचन्द्र जाति धूड़िया निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. रामचंद्र पुत्र टोपनदास जाति अरोड़ा साकिन श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर। मेघराज पुत्र जैसाराम जाति मेघवंशी निवासी पाबूबारी के पास, बीकानेर।(मृत्तक)
   1/1 वाणी रानी पत्नि स्व रामचंद्र
   1/2 पवन चुघ पुत्र स्व. रामचंद्र
   1/3 अमित कुमार पुत्र स्व. रामचंद्र
   1/4 नीतू पुत्री स्व. रामचंद्र
   1/5 ममता पुत्री रामचंद्र
   1/6 रक्षा पुत्री रामचंद्र
   1/7 सपना पुत्री रामचंद्र
   1/8 सीमा पुत्री रामचंद्र

2. राजस्थान सरकार जरिये राज पैरोकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

---

2. अपील संख्याः 237/2014 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2014/00072

नाबालिग यश पुत्र आशाराम जाति चुघ अरोड़ा जरिये कुदरती वली वाद मित्र बुआ रामी देवी पत्नी लक्ष्मीचन्द्र जाति धूड़िया निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. रामचंद्र पुत्र टोपनदास जाति अरोड़ा साकिन श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर।मेघराज पुत्र जैसाराम जाति मेघवंशी निवासी पाबूबारी के पास, बीकानेर।(मृत्तक)
   1/1 वाणी रानी पत्नि स्व रामचंद्र
   1/2 पवन चुघ पुत्र स्व. रामचंद्र
   1/3 अमित कुमार पुत्र स्व. रामचंद्र
   1/4 नीतू पुत्री स्व. रामचंद्र
   1/5 ममता पुत्री रामचंद्र
   1/6 रक्षा पुत्री रामचंद्र
   1/7 सपना पुत्री रामचंद्र
   1/8 सीमा पुत्री रामचंद्र

2. राजस्थान सरकार जरिये राज पैरोकार।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री देवेन्द्र खत्री — अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 1

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(1)

निर्णय

दिनांक 21.09.2022

यह अपीलें राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत पेश हुई है। अपील संख्या 236/2014 अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 30.11.2011 एवं तहसीलदार अनूपगढ निर्णय दिनांक 03.09.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है तथा अपील संख्या 237/2017 अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ के निर्णय 30.11.2011 एवं तहसीलदार अनूपगढ के निर्णय दिनांक 10.08.2011 विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों अपीलों में पक्षकार व विषयवस्तु समान होने के कारण दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा हैं। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावें। दोनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– अपील संख्या–: 236/2014 में अपीलांट के पिता आशाराम के नाम चक 91 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं 22 पत्थर नं. 318/424 के किला नं. 12,19,20,21 व 22 में 1.215 हैक्टर भूमि खातेदारी स्माल पेच आवंटन शुदा व किला नं. 1 ता 10, 13 ता 18, 23 ता 25, की कुल 4.732 हैक्टर गैर खातेदारी आवंटन शुदा थीं। इस गैर खातेदारी 4.732 भूमि की खातेदारी आशाराम पुत्र टोपनदास को अपने जीवन काल में प्राप्त नही हुई। आशाराम पुत्र टोपनदास की मृत्यु दिनांक 17.01.2010 को हुई। आशाराम की पत्नी दुर्गादेवी की मृत्यु दिनांक 10.07.1998 को हुई। आशाराम पुत्र टोपनदास ने अपीलांट को गोद लिया था। नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा जारी सदस्य प्रमाण–पत्र दिनांक 23.02.2010 एवं एच.बी.एम पब्लिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल द्वारा जारी प्रमाण–पत्र दिनांक 05.03.2010 के अनुसार अपीलांट नाबालिग यश की जन्म दिनांक 12.12.1996 हैं एवं स्व. आशाराम का पुत्र हैं। अपीलांट नाबालिग हैं इसलिए भुआ रामीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मीचन्द्र के कुदरती वली अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 रामचंद्र(मृत्तक) अपीलांट का चाचा और आशाराम पुत्र टोपनदास का भाई है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 रामचंद्र ने चक 91 जी.बी की भूमि पत्थर नम्बर 318/424 के किला नं. 1 ता 11, 13 ता 18, 23 ता 25 की 4.732 हैक्टर गैरखातेदारी भूमि का आशाराम की वसीयत दिनांक 07.10.2009 के आधार पर नामान्तकरण प्रार्थनापत्र तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त भूमि गैरखातेदारी होने के कारण तहसीलदार अनूपगढ़ ने नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित नही किया, परन्तु पटवारी हल्का के माध्यम से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पश्चात्‌वर्ती सनद के आधार पर इन्तकाल संख्या 184 दिनांक 03.09.2010 को दर्ज करवा लिया। इन्तकाल संख्या 184 के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर ने अपील को चलने योग्य नही माना और मियाद बाहर होने तथा बलहीन होने से अस्वीकार कर दी गई। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.09.2010 का यथावत रखा। अधिनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 30.11.2011 एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 03.09.2010 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— अपील संख्या— 237/2014 में अपीलांट के पिता आशाराम के नाम चक 91 जीबी तहसील अनूपगढ़ का मु.नं 22 पत्थर नं. 318/424 के किला नं. 12,19,20,21 व 22 में 1.215 हैक्टर भूमि खातेदारी स्माल पेच आवंटन शुदा व किला नं. 1 ता 10, 13 ता 18, 23 ता 25, की कुल 4.732 हैक्टर गैर खातेदारी आवंटन शुदा थीं। इस गैर खातेदारी 4.732 भूमि की खातेदारी आशाराम पुत्र टोपनदास को अपने जीवन काल में प्राप्त नही हुई। आशाराम पुत्र टोपनदास की मृत्यु दिनांक 17.01.2010 को हुई। आशाराम की पत्नी दुर्गादेवी की मृत्यु दिनांक 10.07.1998 को हुई। आशाराम पुत्र टोपनदास ने अपीलांट को गोद लिया था। नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा जारी सदस्य प्रमाण—पत्र दिनांक 23.02.2010 एवं एच.बी.एम पब्लिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल द्वारा जारी प्रमाण—पत्र दिनांक 05.03.2010 के अनुसार अपीलांट नाबालिग यश की जन्म दिनांक 12.12.1996 हुआ एवं स्व. आशाराम का पुत्र हैं। अपीलांट नाबालिग हैं इसलिए भुआ रामीदेवी पत्नि श्री लक्ष्मीचन्द्र के कुदरती वली अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 रामचंद्र(मृत्तक) अपीलांट का चाचा और आशाराम पुत्र टोपनदास का भाई है। रेस्पोडेन्ट नं. 1 रामचंद्र ने चक 91 जी.बी की भूमि पत्थर नम्बर 318/424 के किला नं. 12,19,20,21 व 22 में 1.215 हैक्टर स्मालपेच खातेदारी भूमि का आशाराम की वसीयत दिनांक 07.10.2009 के आधार पर नामान्तकरण प्रार्थनापत्र तहसीलदार अनूपगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया। अधिनस्त न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने दिनांक 10.08.2010 को वसीयत दस्तावेज के अनुसार उक्त खातेदारी रकबा 1.215 हैक्टर का नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया। अधिनस्त न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ ने दिनांक 10.08.2010 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर ने अपील को चलने योग्य नही माना और मियाद बाहर हाने तथा बलहीन होने से अस्वीकार कर दी गई। तहसीलदार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अनूपगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2010 का यथावत रखा। अधिनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 30.11.2011 एवं तहसीलदार अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 10.08.2010 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

3— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री करण सिंह तंवर ने दौराने वहस कथन किया कि जब रेस्पोडेंट नं. 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत दिनांक 07.10.2009 की गई, उस समय आशाराम बहुत बीमार था और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रीविजयनगर के रिकोर्ड के अनुसार आशाराम दिनांक 29.0.9.2009 से 14.10.2009 तक उक्त चिकित्सालय में भर्ती रहा। उक्त वसीयत अनूपगढ में लिखी गई तथा श्रीगंगानगर में नोटेरी द्वारा तस्दीक की गई। इससे साबित होता है कि उक्त वसीयत कूटरचित एवं फर्जी हैं। नगरपालिका श्रीविजयनगर द्वारा जारी किये गये सदस्य प्रमाणपत्र दिनांक 23.02. 210 एवं एच.बी.एम पब्लिक सीनियर स्कूल द्वारा जारी किये गए प्रमाणपत्र दिनांक 05.03.2010 के अनुसार अपीलांट यश मृत्तक आशाराम का पुत्र है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश व तहसीलदा अनूपगढ़ के आदेश निरस्त किये जावे।

4— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री देवेन्द्र खत्री ने दौराने बहस कथन किया कि आशाराम पुत्र टोपनदास ने अपनी सैल्फ एक्वायर्ड भूमि की वसीयत अपने सगे भाई रामचंद्र पुत्र टोपनदास के पक्ष में दिनांक 07.10.2009 को करवा दी थी। उक्त वसीयत के आधार पर आशाराम वसीयतकर्ता के देहान्त के पश्चात तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा नामान्तकरण पूर्ण जांच कर रामचंद्र के पक्ष में करने का आदेश प्रदान किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ ने इन्तकाल सार्वजनिक नोटिस जारी कर समस्त वैद्य प्रक्रिया अपनाकर ही किया था। सिविल न्यायालय ने दिनांक 29.03.2019 को वसीयत दिनांक 07.10.2009 को वै़द्य माना है। सिविल न्यायालय में अंतिम निर्णय हो चुका है। तहसीलदार अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 10.08.2011 व अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.11.2011 के विरूद्ध अपील बिना आधार के पेश की है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

(16)

5– हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ के आदेश दिनांक क्रमशः 10.08.2010 व 03.09.2010 विधिसम्मत एवं नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए पारित किये गये है। अपीलांट द्वारा आशाराम पुत्र टोपनदास द्वारा की गई वसीयत दिनांक 07.10.2009 को शून्य एवं प्रभावहीन कराने हेतु सिविल न्यायालय अनूपगढ़ में की अपील को भी सिविल न्यायालय अनूपगढ़ ने दिनांक 29.03.2016 को खारिज कर दिया। हम अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के अपीलधीन आदेश में किसी प्रकार हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। अतः अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर सूरतगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.11.2011 एवं तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक क्रमशः 10.08.2010 व 03.09.2010 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर